

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 174/2020 - निगरानी

- | | | |
|---|------|---|
| 1. सत्यनारायण पिता कन्हैयालाल छीपा, निवासी शक्करगढ, ग्राम पंचायत शक्करगढ तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा | बनाम | 1. शंकरलाल पिता रामकरण लौहार, निवासी शक्करगढ, ग्राम पंचायत शक्करगढ, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा |
| 2. शंभुलाल पिता कन्हैयालाल छीपा, निवासी शक्करगढ, ग्राम पंचायत शक्करगढ, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा | | 2. ग्राम पंचायत शक्करगढ जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत शक्करगढ तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा |
| 3. मु. कमला देवी पत्नी कन्हैयालाल छीपा, निवासी शक्करगढ, ग्राम पंचायत शक्करगढ, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा | | |

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत शक्करगढ द्वारा पत्रावली संख्या 646 में दिनांक 05.12.2019 को पारित आदेश को अपास्त करने के संबंध में।
उपस्थित -

1. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से
3. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.06.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/निगराकार के पिता एवं पति कन्हैयालाल पिता कल्याणमल छीपा को ग्राम शक्करगढ की आराजी संख्या 903 में से रकबा 04 बिस्वा विधिवत् बाडे हेतु दिनांक 07.12.1983 को आवंटित कर कब्जा सिपूद किया गया और बाद विधिवत् आवंटन प्रार्थीगण/निगराकार के पिता एवं पति कन्हैयालाल उक्त 04 बिस्वा भूमि पर साधिकार काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसके आराजी संख्या 1817/903 रकबा 04 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में कायम कर कन्हैयालाल के नाम पर उक्त आराजीयात दर्ज की गयी, कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा उक्त आवंटनसुदा आराजीयात में से आवंटी का नाम रिकार्ड से हटा पुनः पूर्ववत की भांति उक्त आराजीयात अभिलिखित किये जाने का परिपत्र जारी किये जाने पर उक्त आराजीयात पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की गयी तथा कालान्तर में उक्त आराजीयात आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को सन् 2018-2019 में

Lu

अति. जिला कलक्टर



विपक्षी संख्या 1 का चाहे गये भूखण्ड पर नहीं है, न कभी रहा है। फिर भी विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैतिक व्यवहारिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के हैं। जिस स्थान का विक्रय किया जा रहा है वह स्थान आबादी हल्के की भूमि होकर उसकी बाजार मूल्य कतई 70/- रुपये वर्गफीट न होकर उससे कई ज्यादा है। किन्तु विपक्षी संख्या 1 का जानबूझकर आपसी मिलाभगती से कम मूल्य दर्शा उक्त विक्रय आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। जहां पर पंचायत की भूमि को विक्रय का प्रश्न है तो वह खुली नीलामी द्वारा ही विधि के तहत की जा सकती है किन्तु विपक्षी संख्या 02 ने उक्त सारे ही नियमों की जानबूझकर अनदेखी करते हुए अपने ही मिलने वाले व्यक्तियों को उक्त विक्रय किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा गलत होकर काबिल अपास्तगी के है। जहां तक प्रार्थीगण निगराकारान को ज्ञात है विपक्षी संख्या 1 के पास पूर्व में ही ग्राम शक्करगढ़ में अपना आवासीय मकान सुसज्जित एवं काफी विशाल भू भाग पर बना हुआ है अर्थात् न तो वह गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है और न ही वह पुश्तैनी मकान का वह पट्टा ही चाहता है। पुश्तैनी मकान के पट्टे हेतु अलग से प्रावधान पंचायत एक्ट में किये गये है और पुश्तैनी मकान के पट्टों के संबंध में विक्रय आदेश पारित करने की कतई कानूनन आवश्यकता नहीं रहती हैं वैसे भी उक्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी निगराकारान की और से भी विक्रय/ नियमन के संबंध में प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 के यहां विधिवत प्रस्तुत कर दिया गया तो फिर विपक्षी संख्या 2 को एक ही भूखण्ड के संबंध में 2 व्यक्तियों द्वारा विक्रय आवेदन किये जाने पर उक्त भूखण्डों को खुली नीलामी से विक्रय किया जाना चाहिये था ताकि विपक्षी संख्या 2 को भी अच्छी निधि प्राप्त हो जाती किन्तु उक्त विधिक प्रक्रिया न अपना विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को सीधे ही तुच्छ मूल्य पर उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। विपक्षी संख्या 2 ने आबादी भूमि के संबंध में विक्रय/ हस्तान्तरण हेतु बने हुये नियमों की कोई पालना ही नहीं की, यथा न तो विधिवत 3 पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और न ही विधिवत आपत्ती नोटिस 1 माह का विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित कर चरप्पा ही किया गया, बल्कि विपक्षी संख्या 2 ने आपसी मिलाभगती एवं दुर्भिसंधि कर एक ही स्थान पर सारी ही औपचारिकताएं एक ही दिन में पूरी करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जो उक्त पत्रावली को प्रथम दृष्टया देखने से ही स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है अर्थात् कोई किसी प्रकार के नियमों एवं उपनियमों की अक्षरतः पालना नहीं कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रारंभ से ही विधि के



Luks
अति. जिला कलक्टर

70/- रूपये वर्गफीट न होकर उससे कई ज्यादा है। किन्तु विपक्षी संख्या 1 का जानबूझकर आपसी मिलाभगती से कम मूल्य दर्शा उक्त विक्रय आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। जहां पर पंचायत की भूमि को विक्रय का प्रश्न है तो वह खुली नीलामी द्वारा ही विधि के तहत की जा सकती है किन्तु विपक्षी संख्या 02 ने उक्त सारे ही नियमों की जानबूझकर अनदेखी करते हुए अपने ही मिलने वाले व्यक्तियों को उक्त विक्रय किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा गलत होकर काबिल अपास्तगी के है। विपक्षी संख्या 1 के पास पूर्व में ही ग्राम शक्करगढ़ में अपना आवासीय मकान सुसज्जित एवं काफी विशाल भू भाग पर बना हुआ है अर्थात् न तो वह गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है और न ही वह पुश्तैनी मकान का वह पट्टा ही चाहता है। पुश्तैनी मकान के पट्टे हेतु अलग से प्रावधान पंचायत एक्ट में किये गये है और पुश्तैनी मकान के पट्टों के संबंध में विक्रय आदेश पारित करने की कतई कानूनन आवश्यकता नहीं रहती हैं वैसे भी उक्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी निगराकारान की ओर से भी विक्रय/ नियमन के संबंध में प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 के यहां विधिवत प्रस्तुत कर दिया गया तो फिर विपक्षी संख्या 2 को एक ही भूखण्ड के संबंध में 2 व्यक्तियों द्वारा विक्रय आवेदन किये जाने पर उक्त भूखण्डों को खुली नीलामी से विक्रय किया जाना चाहिये था ताकि विपक्षी संख्या 2 को भी अच्छी निधि प्राप्त हो जाती किन्तु उक्त विधिक प्रकिया न अपना विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को सीधे ही तुच्छ मूल्य पर उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। विपक्षी संख्या 2 ने आबादी भूमि के संबंध में विक्रय/ हस्तान्तरण हेतु बने हुये नियमों की कोई पालना ही नहीं की, यथा न तो विधिवत 3 पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और न ही विधिवत आपत्ती नोटिस 1 माह का विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित कर चर्चा ही किया गया, बल्कि विपक्षी संख्या 2 ने आपसी मिलाभगती एवं दुर्भिसंधि कर एक ही स्थान पर सारी ही औपचारिकताएं एक ही दिन में पूरी करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जो उक्त पत्रावली को प्रथम दृष्टया देखने से ही स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है अर्थात् कोई किसी प्रकार के नियमों एवं उपनियमों की अक्षरतः पालना नहीं कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रारंभ से ही विधि के विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के हैं। निवेदन हैं कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.12.2019 को पारित आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूखण्ड का विक्रय/पट्टा प्रार्थीगण निगराकारान को दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी के पक्ष में विधिक दृष्टान्त 2017 डीएनजे (2) पेज 730, 2017 डीएनजे (2) पेज 668, 2019 सीजे (2) राज पेज 77,



Lush

2020 सीजे (2) राज पेज 753 पेश किये।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि निगराकार को, जो वर्ष 1983 में आवंटन होना वर्णित किया वह गलत हैं। निगराकार के पिता कन्हैयालाल को प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 7-12-1983 को अस्थायी बाड़ा के लिये अस्थायी तौर पर आवंटित की गयी थी, जो बाद में राज्य सरकार द्वारा ऐसे आवंटन को निरस्त कर दिया गया व इस भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी थी। उसे राज्य सरकार द्वारा अस्थायी आवंटन होने से वर्ष 2018 -2019 में खारिज कर बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। जिसका नामान्तरणकरण सं० 2485 निस्तारित किया गया। उक्त नामान्तरण करण सं० 2485 के विरुद्ध निगराकार ने कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि उसका कब्जा होता तो वह निश्चित रूप से उक्त नामान्तरणकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता। उसके बाद उक्त भूमि सेटअपार्ट की जाकर, ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु सिपूर्ड की गयी। इससे पहले श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा उक्त आराजी का तत्कालिन तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, सरपंच, सचिव से सर्वे करवाया गया। जिसकी सूची तैयार की गयी। जिसमें निगराकार का कोई नाम नहीं है। उक्त सर्वे रिपोर्ट आराजी सं० 903 के बटा नम्बर 1725/903 में केवल जिन जिन व्यक्तियों के बाड़ें व कब्जा पाया गया उनका नाम वर्णित है। उसके बाद उक्त भूमि का विधिवत कार्यवाही की जाकर गैरनिगराकार के नाम 70/-रु० प्रति वर्ग फिट की दर से पट्टे जारी किये गये। तथा ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु जरिये नामान्तरणकरण सं० 2670 दिनांक 25-11-2019 को ग्राम पंचायत को दी गयी। इस नामान्तरणकरण के विरुद्ध भी निगराकार ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। और यदि निगराकार अथवा उसके पिता का आवंटन से कोई कब्जा होता तो श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के आदेशानुसार जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गयी उसमें कब्जाधारी का नाम अवश्य ही होता। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत धारा 156 के तहत तत्समय प्रचलित डी० एल० सी की दर 70/-रु० प्रति फिट से पट्टा गैरनिगराकार के नाम पर नियम 158 के तहत आपसी वार्ता से जारी किया गया। अलावा इसके वर्ष 1983 के आवंटन के बाद कभी आराजी सं० 1817/903 तरमीम ही नहीं हुई। अलावा इसके आ० सं० 903 करीबन 20 बीघा का रकबा था, जिसमें से निगराकार को 04 बिस्वा भूमि आवंटन होना बताता है वह भूमि राजस्व नक्शा में कभी तरमीम हो कर दर्ज ही नहीं हुई है। तथा निगराकार की भूमि कहाँ पर स्थित है? स्पष्ट नहीं है तो उसका कब्जा पट्टे वाली ही भूमि पर कैसे हो सकता है। तथा निगराकार ने अपना कब्जा साबित नहीं करवाया है। निगराकार को आवंटन शुदा




Luhr

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा के पत्रांक/एफ 12-3(2)/आबादी भूआ./आरए /2019 /2570 दिनांक 18.10.2019 से माननीय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की आराजियात को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गयी हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत आराजियात में से भूखण्ड का पट्टा जारी कराने हेतु गैर निगराकार संख्या 01 ने आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2019 को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर दिया गया और तदनुसार ही ग्राम पंचायत ने मिसल कायम कर पत्रावली का संधारण किया गया, जबकि दिनांक 12.10.2019 को उक्त प्रश्नगत आराजियात आबादी विस्तार में नहीं थी। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियमों की स्पष्ट उल्लंघना की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा मिलाभगती का खेल रचा गया।

मौका निरीक्षण प्रपत्र में ग्राम पंचायत के तीन पंचों की रिपोर्ट में प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड का प्लॉट होना दर्शाया गया है, जबकि आवेदन पत्र में गैर निगराकार संख्या 01 ने मौके पर 15-20 वर्षों से मकान होना अंकित किया हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 ने गलत एवं मिथ्या अभिकथन कर विपक्षी संख्या 2 के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से पूर्णतया सिद्ध होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी निगराकारान की और से भी विक्रय/ नियमन के संबंध में प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत के यहां प्रस्तुत किया गया। ऐसे में विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत को एक ही भूखण्ड के संबंध में 2 व्यक्तियों द्वारा विक्रय आवेदन किये जाने पर, उक्त भूखण्ड को खुली नीलामी से विक्रय किया जाना चाहिये था, ताकि ग्राम पंचायत के राजस्व में वृद्धि होती। किन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त विधिक प्रकिया न अपनाकर विपक्षी संख्या 1 को सीधे तौर ही कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड को विक्रय करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 21.05.2020 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी ने आराजी नं. 1725/903 बांकरा रोड पर स्थित आबादी भूमि विस्तार का मौका मुआयना करने पर पाया गया कि रामप्रसाद पुत्र मोतीलाल कलाल दाएं तरफ एवं दुर्गा शंकर पुत्र कृष्ण गोपाल लखारा बाएं तरफ के बीच में स्थित 4 बिस्वा भूमि पर कन्हैयालाल पुत्र कल्याणमल छीपा निवासी शक्करगढ का 40 वर्ष से पूर्व का कब्जा हैं। इनको पूर्व में इस जगह का तहसीलदार जहाजपुर द्वारा 7.12.1973 को पट्टा भी जारी


अति. जिला कलक्टर



कर रखा है एवं जमाबंदी में भी दर्ज है। उक्त मौका पर्चा ग्रामीणों एवं वार्ड पंचों के समक्ष बनाया गया।

उक्त मौका पर्चा दिनांक 21.05.2020 से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड के पट्टे पर गैर निगराकार संख्या 01 का कोई मकान आदि पिछले 15-20 वर्षों से बना हुआ नहीं पाया गया न ही गैर निगराकार संख्या 01 का कोई कब्जा आदि पाया गया। उक्त मौका पर्चा दिनांक 21.05.2020 के खण्डन में गैर निगराकार संख्या 01 ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया एवं न ही कोई पुख्ता दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत पट्टा पत्रावली संख्या 646 दिनांक 05.12.2019 से पारित आदेश पूर्णरूपेण विधि विरुद्ध जारी किया जाना प्रकट होता है, जिससे प्रश्नगत पट्टा पत्रावली संख्या 646 दिनांक 05.12.2019 प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत शक्करगढ पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर के पट्टा पत्रावली संख्या 646 दिनांक 05.12.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत शक्करगढ पंचायत समिति जहाजपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sudh
(डॉ. राजेश गोयल)
अति. लि. कलक्टर,
भिलवाड़ा